रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 1989/आश्विन 27, 1911

No. 550] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1989/ASVINA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1989

सा.का.नि. 908(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रियायत (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में,—

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. 1962 का अधिनियम 33 की व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।"

(2) नियम 22 के उपनियम (3) में, खंड (क) के उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन की दशा में राज्य सरकार द्वारा आवेदक को ऐसा ठीक क्षेत्र जो मन्जूरी के लिए प्रस्थापित है, संसूचित किए जाने के पश्चात छह मास की अवधि के भीतर सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना पेश की जा सकेगी।"

(3) नियम 22क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"22क. खनन संक्रियाएं खनन योजनाओं के अनुसार होंगी :

(1) खनन संक्रियाएं सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजनाओं के अनुसार चलायी जाएंगी,

(2) किसी खनन पट्टे के संचालन के दौरान अनुमोदित खनन योजना में उपान्तरण करने में भी पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।",

(4) नियम 22ख के उप-नियम (1) में आने वाले "कोई भी खनन योजना तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की जाएगी।" शब्दों में "केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(5) नियम 22ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22खख. खनन योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया :

(1) नियम 63-के उपबन्धों के होते हुए भी, अनुमोदन के लिए खनन योजना उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसे भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,

(2) खनन योजना की बाबत भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक से भिन्न किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो खनन योजना अनुमोदित करने को सक्षम है, किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश या निदेश संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी के, जिसका वह अधिकारी अव्यवहित अधीनस्थ है, पास आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आवेदन तीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् तभी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि समय के भीतर उसके आवेदन नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण था,

(3) उपनियम (1) के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने पर प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गये आदेश या दिये गये निदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा,

(4) भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा खनन योजना के अनुमोदित किये जाने संबंधी किये गये आदेश या जारी किये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन कर सकेगा,

परन्तु यह कि ऐसा कोई आवेदन तीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् तभी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि समय पर उसके आवेदन नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण था,

(5) उपनियम (4) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगी।";

(6) नियम 22ग के स्पष्टीकरण मे, "महानियंत्रक" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"मुख्य खान नियंत्रक, खान नियंत्रक",

(7) नियम 22क का लोप किया जाएगा,

(8) नियम 72 के उप-नियम (2) मे "उप-नियम (4) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(9) प्ररूप 1 के पैरा 3 में प्रविष्टि (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात —

"(xviii) एक रिपोर्ट जिसमे अयस्क आरक्षितों के निर्धारण और भू-वैज्ञानिक योजनाओं के साथ-साथ क्षेत्र मे किए गए पूर्वेक्षण के ब्यौरे दिए गए हो।

[फा.सं. 7(1)/89-एम-VI]

सुरेन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण . मूल नियम पहले संशोधित किया गया था । ऐसे संशोधनों की अधिसूचनाओं की सूची अनुलग्न की जाती है।

सूची

1 अधिसूचना सं 1/34/71-खान 6 दिनांक 21-5-72
2. अधिसूचना सं. खान 2-152(37)/62 दिनांक 22-7-63
3. अधिसूचना सं. 1/34/68-खान 2 दिनांक 23-5-70
4. अधिसूचना स. 1/26/71-खान 6 दिनांक 14-2-72
5 अधिसूचना सं. 1/2/68-खान 2 दिनांक 23-2-68
6. अधिसूचना स. 1/3/68-खान 2 दिनांक 30-5-68
7. अधिसूचना सं खान 2-169/44/61 दिनांक 7-9-61
8. अधिसूचना सं. 1/22/62-खान 2 दिनांक 18-7-63
9 अधिसूचना स 1/74/75-खान 6 दिनांक 2-5-79
10 अधिसूचना स. 1/3/68-खान 6 दिनांक 17-1-69
11. अधिसूचना सं. 1/33/67-खान 6(खड-II) दिनांक 22-7-71
12. अधिसूचना सं. खान-2-152/11/62 दिनांक 6-5-63
13. अधिसूचना सं खान-2-169/44/61 दिनांक 6-9-63
14. अधिसूचना सं. 1/3/71-खान 6 दिनांक 6-9-71
15 अधिसूचना स. 1/51/65-खान 2 दिनांक 26-2-69
16. अधिसूचना स. 3/51/74-खान 6 दिनांक 16-1-80
17. अधिसूचना स. खान 2-152/58/61 दिनांक 30-4-63
18. अधिसूचना सं. खान-2-152/33/60 दिनांक 24-9-63
19. अधिसूचना स. 1/26/66-खान 6 दिनांक 4-3-67
20 अधिसूचना सं. 7/4/85-खान 6 दिनांक 22-9-86
21. अधिसूचना स. 7/1/86-खान 6 दिनांक 10-2-87
22. अधिसूचना सं 18/9/86-खान 6 दिनांक 14-10-87
23 अधिसूचना स. 6/3/87-खान 6 दिनांक 21-12-87
24. अधिसूचना स. 7/2/87-खान 6 दिनांक 13-4-88

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1989

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 —

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Saving of Act 33 of 1962 : Nothing in these rules shall affect the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).";

(2) in sub-rule (3) of rule 22, after sub-clause (v) of clause (e), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the case of application for grant of a mining lease, the mining plan duly approved may be submitted within a period of six months after the precise area which is proposed to be granted is communicated to the applicant by the State Government."

(3) for rule 22A, the following rule shall be substituted, namely :—

"22A. Mining operations to be in accordance with mining plans :

(1) Mining operations shall be undertaken in accordance with the duly approved mining plan;

(2) Modification of the approved mining Plan during the operation of a mining lease also requires prior approval.";

(4) in sub-rule (1) of rule 22B, the words "by the Central Government" occurring after the words "shall be approved" shall be omitted;

(5) after rule 22B, the following rule shall be inserted, namely :—

"22BB. Procedure for approval of mining plans :

(1) Notwithstanding the provisions of rule 63, the mining plan shall be submitted for approval to the authority notified by the Controller General of the Indian Bureau of Mines, in this behalf;

(2) Any person aggrieved by any order made or direction issued in respect of a mining plans by an officer competent to approve mining plans other than the Controller General of the Indian Bureau if Mines may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the authority to whom the said officer is immediately subordinate, for the revision of the order or direction :

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the authority that he had sufficient cause for not making the application within time;

(3) On receipt of any application for revision under sub-rule (1), the authority after giving a reasonable opportunity of being heard to the aggrieved person, may confirm, modify or set aside the order made or direction issued by an officer subordinate to him;

(4) Any person aggrieved by an order made or direction issued by the Controller General of Indian Bureau of Mines, concerning approval of mining plan may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Central Government for a revision of such order or direction :

Provided that any such application may be entertained after the said period of 30 days, if the applicant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not making the application in time;

(5) On receipt of any such application under sub-rule (4), the Central Government may confirm, modify, or set aside the order made or direction issued by the Controller General of Indian Bureau of Mines.";

(6) in the Explanation to rule 22C, the following words shall be inserted after the words "Controller General", namely :—

"Chief Controller of Mines, Controller of Mines";

(7) rule 23A shall be omitted;

(8) in rule 72, in sub-rule (2), the words and figure "other than land referred to in sub-rule (4)" shall be omitted;

(9) in Form I, in paragraph 3, for the entry (xviii), the following entry shall be substituted, namely :—

"(xviii) A report giving the details of prospecting carried out in the area together with assessment of ore reserves and geological plans.".

[File No. 7(1)|89-M.VI]

SURENDRA MISHRA, Jt. Secy.

Foot-note : The principal rule was amended earlier. A list of notifications for such amendment is enclosed.

THE LIST

1. Notification No. 1|34|71-M. VI dt. 21-5-73.
2. Notification No. M. II-152(37)|62 dt. 22-7-63.
3. Notification No. 1(34)|68-M.II dt. 23-5-70.
4. Notification No. 1(21)|71-M.VI dt. 14-2-72.
5. Notification No. 1(2)|68-M.II dt. 23-2-68.
6. Notification No. 1(3)|68-M.II dt. 30-3-68.
7. Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 7-9-61
8. Notification No. 1(22)|62-M.II dt. 18-7-63.

9. Notification No. 1 (74) |75-M. VI dt. 2-5-79.
10. Notification No. 1 (3) |68-M.VI dt. 17-1-69.
11. Notification No. 1 (33) |67-M.VI (Vol.II) dt. 22-7-71.
12. Notification No. M.II-169 (44) |61 dt. 6-9-63.
13. Notification No. 1 (3) |71-M.VI dt. 6-9-71.
14. Notification No. 1 (51) 65-M.II dt. 26-2-69.
15. Notification No. M.II-152 (11)|62 dt. 6-5-63.
16. Notification No. 3 (51) |74-M.VI dt. 16-1-80.
17. Notification No. M.II-152 (58) |61 dt. 30-4-63.
18. Notification No. M.II-152 (33) |60 dt. 24-9-63.
19. Notification No. 1 (26) |66-M.VI dt. 4-3-67.
20. Notification No. 7(4) |85-M.VI dt. 22-9-86.
21. Notification No. 7 (1)|86-M.VI dt. 10-2-87.
22. Notification No. 18 (9) |86-M.VI dt. 14-10-87.
23. Notification No. 6 (3) |87-M.VI dt. 21-12-87.
24. Notification No. 7 (2) |87-M.VI dt. 13-4-88.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989